मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 7272/22/वि–9/आरजीएम/97 भोपाल, दिनांक 01/05/97

आदेश क्रमांक 15 / जलग्रहण क्षेत्र विकास

प्रति,

1. अध्यक्ष, (समस्त)
   जिला पंचायत मध्य प्रदेश
2. कलेक्टर, (समस्त)
   मध्य प्रदेश
3. कार्यपालक निदेशक, (समस्त)
   जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मध्य प्रदेश
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत (समस्त)
5. परियोजना अधिकारी,
   मिली जलग्रहण क्षेत्र (समस्त)

विषय – **राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के अंतर्गत संस्थागत ढांचे के संबंध में दिशा निर्देश।**

जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पूर्व में आदेश क्रमांक–2 दिनांक 25.07.95, आदेश क्रमांक–4 दिनांक 08.11.95, आदेश क्रमांक–5 दिनांक 01.12.95, आदेश क्रमांक–6 दिनांक 04.03.96, आदेश क्रमांक–7 दिनांक 16.05.96, आदेश क्रमांक–8 दिनांक 03.09.96, आदेश क्रमांक–9 दिनांक 15.11.96, आदेश क्रमांक–10 दिनांक 05.12.96, आदेश क्रमांक–13 दिनांक 03.04.97 को जारी किये गये हैं। उन आदेशों के तारतम्य में जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर यह अगला आदेश है। कृपया इस परिपत्र को कार्यालय कलेक्टर, जिला पंचायत, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, परियोजना अधिकारी, मिली वाटरशेड एवं जनपद पंचायत कार्यालय में व्यापक रूप से प्रसारित करें तथा इसकी एक प्रति सभी कार्यालयों की गार्ड नस्ती में रखें।

1.0 <u>जिला स्तरीय ढांचा</u>

आदेश क्रमांक–2 के पैरा 7.1 एवं 7.1.1 के अनुसार तथा पूर्व में जारी किये गये विभिन्न पत्रों के माध्यम से जिला स्तर पर दो प्रकार की समितियों के गठन के निर्देश जारी किये गये हैं। पूर्व में जारी किये गये निर्देशों को समाहित करते हुये जिला स्तर पर समितियों के गठन, उद्देश्य व कार्यों तथा अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में नवीन दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं। ये दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किये जावें तथा जिला स्तरीय समितियों के गठन के संबंध में इसके पूर्व जारी किये गये समस्त निर्देश निरस्त समझे जावें।

1.1 <u>मिशन लीडर</u>

आदेश क्रमांक 2 के पैरा 3.1 के अनुसार जिला स्तर पर कलेक्टर मिशन लीडर के रूप में कार्यों के समग्र समन्वय, सफल संचालन तथा आवश्यक निधियों के आवंटन के लिये पूर्ववत उत्तरदायी होंगे। इनमें तीनों योजनाओं यथा रोजगार आश्वासन योजना, (E.A.S) सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम (D.P.A.P) तथा एकीकृत पडत भूमि विकास कार्यक्रम (I.W.D.P) के अंतर्गत संचालित जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

1.2 **नोडल विभाग**

इस कार्यक्रम हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (D.R.D.A) नोडल विभाग तथा कार्यपालक निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नोडल अधिकारी होंगे।

1.3 **<u>जिला स्तरीय तकनीकी समिति (District Level Technical Committee)</u>**

1.3.1 **उद्देश्य** – जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को सलाह/सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया जावेगा।

1.3.2 **सदस्य** – कलेक्टर एवं मिशन लीडर जिला स्तरीय तकनीकी समिति के अध्यक्ष तथा कार्यपालक निदेशक डी.आर.डी.ए. समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति के अन्य सदस्यों का चुनाव मिशन लीडर द्वारा निम्नानुसार किया जावेगा :–

(i) संबंधित विभागों के जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी

(ii) जिले के अंतर्गत विभिन्न तकनीकी संस्थानों जैसे कृषि महाविद्यालय, वन विद्यालय, भूजल संस्थान, अभियांत्रिाकी महाविद्यालय, इत्यादि के प्रतिनिधि

(iii) मास्टर ट्रेनर्स

(iv) परियोजना क्रियान्वयन दलों के परियोजना अधिकारी

(v) सेवानिवृत वरिष्ठ शासकीय अधिकारी जो जलग्रहण क्षेत्रा विकास कार्यक्रम में रूचि रखते हों

1.3.3 **कार्य –** जिला स्तरीय तकनीकी समिति जल ग्रहण क्षेत्र विकास से संबंधित विभिन्न तकनीकी पहलू/मुद्दों पर डी.आर.डी.ए को परामर्श एवं सलाह प्रदान करने के साथ–साथ निम्न विषयों पर अपनी अनुशंसा प्रदान करेगी :–

(i) भारत सरकार की गाईडलांइस के पैरा 46 के अनुसार जिला स्तर पर विभिन्न तकनीकी एवं विकास कार्यों हेतु प्रचलित दरों के अनुसार व्यय के मापदण्डों का निर्धारण।

(ii) वर्ष हेतु जिला स्तर एवं परियोजना स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूप रेखा, सम्मिलित किये जाने वाले विषय तथा प्रशिक्षण देने हेतु संस्था/मास्टर ट्रेनर्स/दल का चयन।

(iii) सामुदायिक संगठन की कार्ययोजना तथा प्रचार प्रसार हेतु माध्यमों का निर्धारण।

(iv) जल ग्रहण क्षेत्र विकास हेतु प्रस्तुत कार्ययोजना का निर्धारित किये गये मापदण्डों के अनुसार अलग–अलग गतिविधियों हेतु रूपये 2.00 लाख की सीमा के ऊपर तकनीकी स्वीकृति संबंधी सभी अधिकार।

(अ) अध्यक्ष की अनुमति से तकनीकी मुद्दों से संबंधित अन्य कोई विषय ।

1.3.4 **बैठक का आयोजन –** जिला स्तरीय तकनीकी समिति की बैठकें प्रति तीन माह में एक बार अनिवार्य रूप से आयोजित की जावेंगी। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त रूप से विशेष बैठक का आयोजन किया जा सकता है। वर्ष के दौरान किसी एक बैठक को कार्यशाला के रूप में आयोजित किया जा सकता है, जिसमें तकनीकी विषयों पर चर्चा की जा सकेगी। कार्यशाला के दौरान प्राप्त सुझावों को तकनीकी मार्गदर्शिका के रूप में परियोजना क्रियान्वयन दल को भी उपलब्ध कराया जा सकता है।

1.4 जिला स्तरीय जलग्रहण क्षेत्र सलाहकार समिति (District Level Watershed Advisory Committee)

1.4.1 **उद्देश्य** – जल ग्रहण विकास कार्यक्रम में पारदर्शिता लाने तथा चुने हुये जन प्रतिनिधियों एवं पंचायत पदाधिकारियों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय जलग्रहण क्षेत्र सलाहकार समिति का गठन किया जावेगा।

1.4.2 **सदस्य** – जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला स्तरीय जलग्रहण क्षेत्र सलाहकार समिति के अध्यक्ष होंगे। कलेक्टर मिशन लीडर के रूप में तथा कार्यपालक निदेशक डी.आर.डी.ए सदस्य सचिव होंगे। समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार होंगे :–

(i) समस्त सांसद एवं विधायक गण

(ii) जिला पंचायत उपाध्यक्ष

(iii) समस्त जनपद पंचायत अध्यक्ष

(iv) जिला स्तरीय तकनीकी समिति के समस्त सदस्य

1.4.3 **कार्य** – जिला स्तरीय जलग्रहण क्षेत्र सलाहकार समिति जलग्रहण क्षेत्र विकास से संबंधित समस्त मुद्दों पर (तकनीकी मुद्दों को छोड़कर) डी.आर.डी.ए को परामर्श/सलाह देने के साथ निम्नानुसार कार्य करेगी :–

(i) परियोजना क्रियान्वयन दल द्वारा तैयार किये गये एक्शन प्लान का अनुमोदन। समिति के अनुमोदन के आधार पर मिशन लीडर द्वारा आदेश क्रमांक–7 के अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा सकेगी।

(ii) विकास खण्ड वार रोजगार आश्वासन योजना तथा सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध बजट प्रावधानों के अनुसार नये मिलीवाटरशेड एवं माइक्रोवाटरशेड का चयन।

(iii) मिशन के अंतर्गत सम्पादित कार्यों की समीक्षा/मानिटरिंग एवं मूल्यांकन।

(iv) परियोजना क्रियान्वयन दल के परियोजना अधिकारी का चयन।

(अ) नीति विषयक बिन्दुओं पर अनुशंसा।

1.4.4 **नये मिली वाटर शेड का चयन का आधार** :– नये मिलीवाटरशेड तथा उसके अंतर्गत आने वाले माइक्रो वाटरशेड/ग्रामों का चयन जिला स्तरीय जलग्रहण क्षेत्र सलाहकार समिति द्वारा निम्न मापदण्डों के आधार पर जलग्रहण क्षेत्र की अवधारणा के अनुरूप किया जावेगा :–

(i) पेयजल की गंभीर समस्या वाला क्षेत्र
(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्र
(iii) क्षेत्र जहां पड़त भूमि बहुतायत में हो
(iv) क्षेत्र जहां सामुदायिक भूमि बहुतायत में हो
(अ) जहां मजदूरी की प्रचलित दर न्यूनतम मजदूरी से कम हो
(vi) जहां बगल के क्षेत्र में वाटरशेड का उपचार पूर्ण हो चुका हो
(vii) पूर्व में किसी अन्य योजना के अंतर्गत उपचारित न हो
(viii) जिन ग्रामों में निर्धारित योगदान की राशि देने में आम सहमति हो

1.4.5 **बैठक का आयोजन –** जिला स्तरीय वाटरशेड सलाहकार समिति की बैठक छह माह में एक बार आयोजित की जावेगी। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त रूप से विशेष बैठक भी आयोजित की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष समिति के सदस्यों हेतु एक कार्यशाला भी आयोजित की जावे जिसमें कार्यक्रम की संपूर्ण समीक्षा हो सके।

2.0 **<u>परियोजना क्रियान्वयन दल</u> –** परियोजना क्रियान्वयन दल का गठन जिला स्तरीय वाटरशेड सलाहकार समिति के अनुमोदन के उपरांत किया जावेगा। दल के सदस्यों की अनुशंसा परियोजना क्रियान्वयन दल के परियोजना अधिकारी द्वारा की जावेगी। परियोजना क्रियान्वयन दल शासकीय अथवा अशासकीय (एन.जी.ओ.) हो सकता है। शासकीय परियोजना क्रियान्वयन दल में वन, कृषि, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिाकी उद्यानिकी, मत्स्य, राजस्व, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास इत्यादि संबंधित विभागों के विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी हो सकते हैं। परियोजना अधिकारी न्यूनतम द्वितीय श्रेणी का राजपत्रित अधिकारी होगा। परियोजना क्रियान्वयन दल में जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यों में उत्तम समझ रखने वाले अशासकीय सदस्य के रूप में कम से कम 2 सदस्य मिलीवाटरशेड के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में होंगे। परियोजना क्रियान्वयन दल से संबंधित अन्य व्यवस्थायें पूर्व में जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप होंगी।

3.0 **<u>ग्राम स्तरीय वाटरशेड कमेटी</u>** – ग्राम स्तरीय वाटरशेड कमेटी के संबंध में व्यवस्था पूर्व में जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुरुप होगी।

कृपया उक्त निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें तथा की गयी कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।